

प्रश्न सं. [क. 3633]

कार्यालय मुख्य अभियंता परिशिष्ट - 1
लोक निर्माण विभाग सागर परिक्षेत्र सागर
क्रमांक /732/स्था/21 सागर दिनांक 03/03/2022

:: कारण बताओ सूचना पत्र ::

प्रति,

श्री आर.के.विश्वकर्मा
सहायक यंत्री (प्रभारी कार्यपालन यंत्री)
लोक निर्माण विभाग
संभाग टीकमगढ़ ।

विषय- संभाग के अंतर्गत आमंत्रित निविदाओं में बिना अनुमोदन के विरोध शर्तों का समावेश किये जाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा संभाग के अंतर्गत मेंटेन्स कार्य, एस.आर.व्हाइट वाशिंग, कल्टर वाशिंग की निविदा टीकमगढ़ एवं निवाडी जिले हेतु आमंत्रित की गई है जिसके आपके द्वारा तकनीकी बिड की शर्त का समावेश किया गया है, जबकि मरम्मत कार्य हेतु कोई तकनीकी योग्यता की शर्त का प्रावधान नहीं रहता है साथ ही शासन द्वारा निविदा दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने की शर्त को स्थिरीय करते हुये समस्त दस्तावेज आनलाईन प्राप्त किये जाने का नियम है । उसके उपरांत भी आपके द्वारा आफलाइन ही दस्तावेज ई.एम.डी. प्राप्त की गई । कार्यों की निविदाओं को समूह में बिना सक्षम अधिकारी के एन.आई.टी अनुमोदन प्राप्त किये आमंत्रित की गई है । अतः आपके द्वारा शासन द्वारा जारी निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हुये अपने स्तर से निविदा शर्तों का समावेश कर निविदा आमंत्रित की गई है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमिता की श्रेणी में आता है । इससे स्पष्ट है, कि आप अपने पदीय दायित्वों का दुरुपयोग किया गया है जो म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3 का उल्लंघन किया गया है ।

अतः आपके द्वारा सिविल सेवा आचरण नियम - 1966 कमे नियम -3 का उल्लंघन करने के कारण आपको एतद् द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है, कि क्या न इस कृत्य हेतु आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लेख किया जावे । इस संबंध में अपना प्रतिउत्तर पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

मुख्य अभियंता
लोनवि सागर परिक्षेत्र

पृ.क./733/स्था/22
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक:- 03/03/2022

- 1 प्रमुख अभियंता लोनवि निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
- 2 अधीक्षण यंत्री लोनवि नौगांव मंडल नौगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3 व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

मुख्य अभियंता
लोनवि सागर परिक्षेत्र